

94

3425
2-8-13

राजस्व रिवीजन

/2013

श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर बेच इंदौर

R. 3107-II/13

अन्तरसिंह पिता स्व. श्री भंवरसिंह भील

आयु - 60 साल , धन्धा - मजदूरी

निवासी - ग्राम - पीर कराडिया , तहसील सावेर ,

जिला - इंदौर (म.प्र.)

क 2718

पोस्ट द्वारा जिला को प्राप्त

— प्रार्थी

विरुद्ध

राजस्व मण्डल ग्वालियर

- 1- राधेश्याम पिता दयाराम खाती
2. तेजकरण पिता मुरारी खाती
3. नरेन्द्र पिता मुकुन्द खाती
4. मलखान पिता भवान तेली

निवासीगण - ग्राम पीर कराडिया , तहसील - सावेर

जिला इन्दौर (म0प्र0)

— प्रतिप्रार्थीगण

राजस्व रिवीजन धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत

यह राजस्व रिवीजन श्रीमान अनविभागीय अधिकारी महोदय सावेर जिला इंदौर द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक /51/अपील/2012-13, मे दिनांक 11.6.2013 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तथ्यो एवं आधारो पर सादर प्रस्तुत है कि :-

प्रकरण के तथ्य



(Signature)

यह कि रेस्पान्डेन्ट कमांक 1 द्वारा प्रार्थी एवं रेस्पान्डेन्ट कमांक 2 से 4 के विरुद्ध धारा 250 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत आवेदन पत्र इस आधार पर , अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आधार पर प्रस्तुत किया कि रेस्पान्डेन्ट कमांक 1 द्वारा प्रार्थी

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3107-दो/13 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री संतोष सिंह उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 22-04-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p> <p> अध्यक्ष</p> <p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	